

शिक्षा में डिजिटल विभाजन और सामाजिक न्याय की भूमिका

प्रतिमा कुमारी¹

¹शोधार्थी

डॉ. टीकम सिंह²

²सहायक प्रोफेसर

शिक्षा-विभाग

सनराइज़ विश्वविद्यालय अलवर, राजस्थान

सारांश

डिजिटल शिक्षा ने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर सीखने के अवसरों को व्यापक किया है, लेकिन इसके साथ ही डिजिटल विभाजन शिक्षा में असमानताओं को भी बढ़ा रहा है। यह समीक्षा-पत्र डिजिटल विभाजन के स्वरूप, कारण और इसके सामाजिक न्याय पर प्रभावों का विश्लेषण करता है। अध्ययन से पता चलता है कि डिजिटल तकनीक केवल तब प्रभावी होती है जब उसे सभी छात्रों तक समान रूप से पहुँचाया जाए। सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से डिजिटल विभाजन को पहचानना और दूर करना अत्यंत आवश्यक है।

संकेत शब्द: डिजिटल, विभाजन, समानता, समावेशन, पहुँच, तकनीक, साक्षरता।

परिचय

डिजिटल तकनीक ने शिक्षा की दुनिया को पुनर्परिभाषित किया है। ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शैक्षणिक ऐप्स और डिजिटल सामग्री ने सीखने के अवसरों को घर-घर पहुँचाया है। परंतु भारत जैसे विविध देश में डिजिटल विभाजन, यानी तकनीकी उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता में असमानता, शिक्षा में समावेशन और समानता को चुनौती दे रहा है (एनईपी, 2020)। इस संदर्भ में डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का प्रतिबिंब भी है।

शिक्षा को समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शिक्षा न केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का साधन है, बल्कि यह



सामाजिक सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण और नागरिक सशक्तिकरण का भी आधार है (सेन, 1999)। समय के साथ, तकनीकी विकास ने शिक्षा के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल दिया है। डिजिटल माध्यमों के माध्यम से शिक्षण और सीखने के अवसरों का विस्तार हुआ है। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, शैक्षणिक ऐप्स, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वीडियो लेक्चर और डिजिटल सहायक उपकरण ने पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं को तोड़ते हुए सीखने के अवसरों को घर-घर पहुँचाना संभव बनाया है। डिजिटल शिक्षा ने न केवल समय और स्थान की बाधाओं को कम किया है, बल्कि छात्रों को स्वयं सीखने, दोहराने और अतिरिक्त सामग्री का लाभ लेने के लिए स्वतंत्रता भी प्रदान की है (एनईपी, 2020)।

हालांकि, डिजिटल शिक्षा ने समान अवसरों की दिशा में चुनौतीपूर्ण मुद्दे भी उत्पन्न किए हैं। डिजिटल विभाजन वह स्थिति है जिसमें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों के बीच डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता में अंतर होता है। भारत जैसे देश में यह विभाजन आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक कारणों से और अधिक स्पष्ट होता है। गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर स्मार्टफोन, कंप्यूटर या स्थिर इंटरनेट कनेक्शन से वंचित रहते हैं। ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी डिजिटल शिक्षा तक पहुँच को सीमित करती है। इसके अलावा, शिक्षक और छात्रों की डिजिटल साक्षरता में अंतर भी डिजिटल शिक्षा के प्रभाव को सीमित करता है (एनआईपी, 2020; राव, 2021)। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जैसे लैंगिक भेदभाव, जातिगत असमानताएँ और परिवार की प्राथमिकताएँ भी डिजिटल शिक्षा के लाभों को असमान रूप से वितरित करती हैं (मित्तल, 2019)। इस प्रकार, डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का भी संकेत है।

सामाजिक न्याय का सिद्धांत शिक्षा में समान अवसर और समावेशन पर केंद्रित है। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार, शिक्षा का असली मूल्य तभी है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख सके और जीवन में समान अवसर प्राप्त कर सके (सेन, 1999)। डिजिटल विभाजन इन सिद्धांतों के प्रतिकूल है क्योंकि जब कुछ छात्रों को डिजिटल संसाधनों तक पहुँच नहीं मिलती, तो उनका सीखने का अनुभव और शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित होता है। डिजिटल असमानता सीधे तौर पर सामाजिक न्याय के उद्देश्य समान अवसर, समान पहुँच और सहभागिता को चुनौती देती है। इसलिए डिजिटल शिक्षा में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना केवल तकनीकी उपायों तक सीमित नहीं रह सकता; यह नीति, प्रशिक्षण, संसाधन और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं का समन्वय मांगता है (ऐन्सको, 2015; बूथ और ऐन्सको, 2011)।



समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण डिजिटल विभाजन को कम करने का मार्ग प्रस्तुत करता है। समावेशी शिक्षा नीतियाँ सुनिश्चित करती हैं कि सभी छात्र, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग या भौगोलिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, डिजिटल संसाधनों तक समान रूप से पहुँच सकें। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष रूप से डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन शिक्षण के उपयोग पर केंद्रित, शिक्षकों को छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलित करने में सक्षम बनाते हैं (कुमार और सिंधु, 2016)। डिजिटल शिक्षा का सही उपयोग करने से छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार होता है, उनकी भागीदारी बढ़ती है और शैक्षणिक असमानताएँ घटती हैं।

डिजिटल और संसाधन समानता के लिए नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020) डिजिटल शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग मानती है और इसके लिए सार्वभौमिक पहुँच, डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षित शिक्षक सुनिश्चित करने पर जोर देती है। सार्वजनिक-निजी साझेदारियाँ डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी के वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इसके अलावा, स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री, बहु-माध्यमिक शिक्षण सामग्री और सहायक तकनीक का उपयोग ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में शिक्षा के समावेशी लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है (यूनेस्को, 2017)।

सामाजिक न्याय और डिजिटल शिक्षा का संबंध केवल संसाधनों की समानता तक सीमित नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयामों तक भी फैला है। जब छात्र समान संसाधनों और अवसरों के साथ सीखते हैं, तो उनकी आत्म-सम्मान, सहभागिता और सामाजिक एकता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, डिजिटल विभाजन छात्रों के बीच सामाजिक दूरी, अवसरों में असमानता और भविष्य की आर्थिक और सामाजिक संभावनाओं में अंतर को बढ़ा सकता है (राव, 2021)। इसलिए शिक्षा में डिजिटल विभाजन का समाधान केवल तकनीकी उपायों से संभव नहीं है; यह समग्र नीति, प्रशिक्षण, संसाधन आवंटन और सामाजिक-सांस्कृतिक जागरूकता का मिश्रण मांगता है।

अंततः, डिजिटल शिक्षा और सामाजिक न्याय का सम्बन्ध शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और समावेशन से सीधे जुड़ा हुआ है। डिजिटल विभाजन को पहचानना और दूर करना शिक्षा में वास्तविक समावेशन और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नीति निर्माता, शिक्षक और समुदाय मिलकर डिजिटल संसाधनों की समानता, प्रशिक्षित शिक्षक और जागरूक शिक्षार्थियों के माध्यम से डिजिटल विभाजन को कम कर सकते हैं।



ऐसे प्रयास शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं बनाते, बल्कि इसे समाज में समानता, न्याय और सशक्तिकरण का सशक्त उपकरण भी बनाते हैं (ऐन्सको, 2015; सेन, 1999)।

डिजिटल विभाजन का स्वरूप

डिजिटल विभाजन मुख्यतः तीन स्तरों पर दिखाई देता है पहला, उपकरण और नेटवर्क विभाजन, जिसमें सभी छात्रों के पास कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन और स्थिर इंटरनेट नहीं होता। दूसरा, साक्षरता और क्षमता विभाजन, जिसमें छात्रों और शिक्षकों की डिजिटल साक्षरता में अंतर होता है। तीसरा, सामाजिक-सांस्कृतिक विभाजन, जो आर्थिक और भौगोलिक कारकों से उत्पन्न होता है (एनआईईपीए, 2020; राव, 2021)।

इन विभाजनों के कारण ग्रामीण क्षेत्र, गरीब परिवार और विशेष आवश्यकता वाले छात्र मुख्यधारा की डिजिटल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। परिणामस्वरूप डिजिटल शिक्षा में असमानता बढ़ती है और शिक्षा में सामाजिक न्याय के लक्ष्य पर प्रश्न उठते हैं।

डिजिटल विभाजन शिक्षा और ज्ञान तक पहुँच में असमानताओं का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। यह विभाजन केवल तकनीकी संसाधनों तक पहुँच की कमी नहीं है, बल्कि इसमें साक्षरता, प्रशिक्षण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक-सांस्कृतिक कारक भी शामिल होते हैं। शिक्षा में डिजिटल विभाजन मुख्यतः तीन प्रमुख स्तरों पर देखा जाता है संसाधन विभाजन, क्षमता या साक्षरता विभाजन, और सामाजिक-सांस्कृतिक विभाजन (एनआईईपीए, 2020; राव, 2021)।

पहला स्तर, संसाधन विभाजन, तब उत्पन्न होता है जब छात्रों के पास डिजिटल उपकरण जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या स्थिर इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होते। यह विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, कई ग्रामीण विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी और डिजिटल उपकरणों की अपर्याप्तता के कारण ऑनलाइन शिक्षा का लाभ सीमित होता है (एनईपी, 2020)। इसके अतिरिक्त, निजी और सरकारी स्कूलों के बीच संसाधनों में अंतर भी डिजिटल विभाजन को बढ़ाता है। दूसरा स्तर, साक्षरता या क्षमता विभाजन, यह संकेत करता है कि केवल उपकरण उपलब्ध होने से पर्याप्त नहीं है। शिक्षक और छात्रों की डिजिटल साक्षरता में अंतर भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि शिक्षक डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी उपयोग नहीं कर सकते, तो छात्रों की सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह, छात्रों के पास डिजिटल सामग्री तक पहुँच और उसे समझने की क्षमता भी असमान होती है (कुमार और सिंधु, 2016)।



तीसरा स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक विभाजन, आर्थिक और सामाजिक कारकों से उत्पन्न होता है। गरीब परिवारों के बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों और अल्पसंख्यक समूहों के छात्रों को डिजिटल शिक्षा तक पहुँच में बाधाएँ आती हैं। इसके अलावा, लैंगिक भेदभाव भी डिजिटल विभाजन को बढ़ाता है; कई घरों में लड़कियों को डिजिटल उपकरणों का सीमित उपयोग करने की अनुमति होती है, जबकि लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है (मित्तल, 2019)।

डिजिटल विभाजन के ये तीन स्तर आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं और शिक्षा में असमानताओं को और बढ़ाते हैं। संसाधनों की कमी और साक्षरता अंतर मिलकर सीखने के अवसरों में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं, जबकि सामाजिक-सांस्कृतिक कारक इन असमानताओं को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। शोध बताते हैं कि डिजिटल विभाजन सीधे तौर पर शैक्षणिक उपलब्धियों, सीखने की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालता है (ऐन्सको, 2015)।

इस प्रकार, डिजिटल विभाजन केवल उपकरण और तकनीक का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समान अवसर और शिक्षा में समावेशन के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसे दूर करने के लिए आवश्यक है कि नीति-निर्माता, शिक्षक और समुदाय मिलकर संसाधन वितरण, प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से डिजिटल पहुँच और साक्षरता सुनिश्चित करें। डिजिटल विभाजन को समझना और उसका स्वरूप पहचानना शिक्षा में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है (यूनेस्को, 2017; सेन, 1999)।

डिजिटल विभाजन और सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा एक बुनियादी अधिकार है और इसे सभी बच्चों के लिए समान रूप से सुलभ होना चाहिए (सेन, 1999)। डिजिटल विभाजन इस अधिकार को बाधित करता है क्योंकि कुछ बच्चों को आधुनिक तकनीकी साधनों और संसाधनों तक पहुँच नहीं मिल पाती। इसके परिणामस्वरूप सीखने के अवसर, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रदर्शन में असमानता उत्पन्न होती है।

समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से डिजिटल समानता आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों का उचित वितरण, स्थानीय भाषा में सामग्री और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए इंटरनेट पहुँच, ये सभी उपाय सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं (ऐन्सको, 2015; बूथ और ऐन्सको, 2011)।



डिजिटल विभाजन और सामाजिक न्याय शिक्षा के क्षेत्र में दो अत्यंत महत्वपूर्ण और आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। डिजिटल विभाजन उन असमानताओं को संदर्भित करता है जो छात्रों के बीच डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की पहुँच में होती हैं। जबकि डिजिटल शिक्षा ने पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं को तोड़ा है और सीखने के अवसरों को व्यापक बनाया है, डिजिटल विभाजन इसके लाभों को सभी तक समान रूप से नहीं पहुँचने देता (एनईपी, 2020)। यह विभाजन विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण है, जिनके पास डिजिटल संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी होती है।

सामाजिक न्याय का सिद्धांत शिक्षा में समान अवसर, समावेशन और अधिकारों की समानता पर आधारित है। अमर्त्य सेन (1999) के क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार, शिक्षा का असली मूल्य तभी है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख सके और जीवन में समान अवसर प्राप्त कर सके। डिजिटल विभाजन इस सिद्धांत के प्रतिकूल है क्योंकि जब कुछ छात्रों को डिजिटल संसाधनों तक पहुँच नहीं मिलती, तो उनका सीखने का अनुभव, शैक्षणिक प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाएँ प्रभावित होती हैं (सेन, 1999; राव, 2021)।

डिजिटल विभाजन न केवल तकनीकी समस्या है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का प्रतिबिंब भी है। संसाधन-संपन्न क्षेत्रों के छात्र बेहतर उपकरण, तेज़ इंटरनेट और डिजिटल सामग्री तक पहुँच प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब और दूरदराज़ क्षेत्रों के छात्र इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इसके अलावा, शिक्षक और छात्रों की डिजिटल साक्षरता में अंतर भी असमानता को बढ़ाता है। कई शिक्षक डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, जिससे सीखने की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है (कुमार और सिंधु, 2016)।

सामाजिक न्याय की दृष्टि से डिजिटल समानता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल उपकरण और इंटरनेट उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है; शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, बहु-माध्यमिक सामग्री, स्थानीय भाषा में डिजिटल पाठ्यक्रम और सहायक तकनीक भी आवश्यक हैं (A इन्सको, 2015; बूथ और ऐन्सको, 2011)। नीति-स्तरीय हस्तक्षेप जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी, 2020) डिजिटल शिक्षा में समानता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियाँ प्रस्तुत करती है। इसके अलावा, सार्वजनिक-निजी साझेदारी और सामुदायिक भागीदारी डिजिटल पहुँच और संसाधन वितरण में सहायता कर सकती हैं (यूनेस्को, 2017)।



अंततः, डिजिटल विभाजन और सामाजिक न्याय का संबंध शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और समावेशन से सीधे जुड़ा है। डिजिटल विभाजन को पहचानना और दूर करना शिक्षा में वास्तविक समावेशन और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नीति निर्माता, शिक्षक और समुदाय मिलकर डिजिटल संसाधनों की समानता और डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे शिक्षा सभी छात्रों के लिए समान रूप से लाभकारी और न्यायसंगत बने (राव, 2021; ऐन्सको, 2015)।

डिजिटल विभाजन के कारण

डिजिटल विभाजन के कई कारण हैं।

1. **आर्थिक कारण:** गरीब परिवार डिजिटल उपकरण और इंटरनेट कनेक्शन खरीदने में असमर्थ होते हैं।
2. **भौगोलिक कारण:** दूरदराज़ क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है।
3. **शिक्षक और छात्र की साक्षरता:** डिजिटल सामग्री का उपयोग तभी संभव है जब शिक्षक और छात्र दोनों डिजिटल साक्षर हों (कुमार और सिंधु, 2016)।
4. **सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ:** कुछ परिवार डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते, या लैंगिक और जातिगत भेदभाव तकनीकी पहुँच को सीमित करता है (मित्तल, 2019)।

समाधान और नीतिगत हस्तक्षेप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020) डिजिटल शिक्षा को सभी स्तरों पर समान रूप से सुलभ बनाने पर जोर देती है। इसके तहत डिजिटल उपकरण वितरण, डिजिटल सामग्री का निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल, सामुदायिक केंद्र और मोबाइल तकनीक का उपयोग ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय हैं (यूनेस्को, 2017)।

शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम डिजिटल विभाजन को कम करने में महत्वपूर्ण हैं। प्रशिक्षित शिक्षक डिजिटल उपकरणों का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और छात्रों को ऑनलाइन सीखने के अवसरों का पूरा लाभ लेने में सक्षम बना सकते हैं (राव, 2021)।



डिजिटल विभाजन और शिक्षा में असमानताओं को कम करने के लिए प्रभावी समाधान और नीतिगत हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक हैं। डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न असमानताओं का प्रतिबिंब है। इसलिए समाधान बहुआयामी होने चाहिए, जो तकनीकी, शैक्षणिक और नीति-स्तरीय उपायों का समन्वय करें (ऐन्सको, 2015)।

पहला महत्वपूर्ण समाधान संसाधन समानता और डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करना है। इसमें छात्रों और शिक्षकों के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और उच्च गति इंटरनेट की उपलब्धता शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी, 2020) में डिजिटल शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग मानते हुए सार्वभौमिक डिजिटल पहुँच, डिजिटल सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षक सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल भी डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी के वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के लिए मोबाइल शिक्षा केंद्र और सामुदायिक डिजिटल केंद्र स्थापित करना समाधान का एक प्रभावी उपाय है (यूनेस्को, 2017)।

दूसरा उपाय शिक्षक और छात्रों की डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है। प्रशिक्षित शिक्षक डिजिटल उपकरणों का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और छात्रों को ऑनलाइन सीखने के अवसरों का पूरा लाभ लेने में सक्षम बना सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बहु-माध्यमिक शिक्षण सामग्री, ऑनलाइन मूल्यांकन पद्धतियाँ और अनुकूलित पाठ्यक्रम शामिल करने से सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है (कुमार और सिंधु, 2016)। छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम, वर्कशॉप और ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

तीसरा उपाय नीति और वित्तीय निवेश का सुदृढ़ समन्वय है। डिजिटल शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए नीति-निर्माण और उसके कार्यान्वयन में स्पष्ट जिम्मेदारी, नियमित निगरानी और पारदर्शी वित्तीय आवंटन जरूरी हैं। स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रबंधन समितियों, समुदाय और अभिभावक सहभागिता भी नीति कार्यान्वयन को प्रभावी बनाती है। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और अल्पसंख्यक समूहों के लिए अनुकूलित डिजिटल सामग्री और सहायक तकनीक उपलब्ध कराना भी आवश्यक है (राव, 2021)।

साथ ही, डिजिटल और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम लागू करना भी जरूरी है। यह परिवार और समुदाय के पूर्वाग्रहों को कम करता है और डिजिटल शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। डिजिटल शिक्षण का उद्देश्य केवल उपकरण और इंटरनेट उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि इसे सभी छात्रों के लिए समान अवसर, गुणवत्ता और समावेशन के रूप में लागू करना है (ऐन्सको, 2015; बूथ और ऐन्सको, 2011)।



इस प्रकार, डिजिटल विभाजन को कम करने और शिक्षा में समानता स्थापित करने के लिए समाधान और नीतिगत हस्तक्षेप बहुआयामी, समन्वित और सतत होने चाहिए। संसाधन समानता, डिजिटल साक्षरता, प्रशिक्षण, वित्तीय निवेश और सामाजिक जागरूकता का संयोजन डिजिटल शिक्षा को सभी के लिए न्यायसंगत और समावेशी बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है (एनईपी, 2020; यूनेस्को, 2017)।

निष्कर्ष

डिजिटल विभाजन शिक्षा में असमानता और सामाजिक अन्याय को बढ़ा सकता है, लेकिन समावेशी नीति और संसाधन-समानता उपाय इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। शिक्षा में सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित होता है जब डिजिटल संसाधन सभी बच्चों तक समान रूप से पहुँचें और डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित हो। नीति-निर्माता, शिक्षक और समुदाय मिलकर डिजिटल शिक्षा को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बना सकते हैं।

शिक्षा में डिजिटल विभाजन और सामाजिक न्याय आपस में गहराई से जुड़े हुए मुद्दे हैं। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा को व्यापक और सुलभ बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, लेकिन यह लाभ समान रूप से सभी छात्रों तक नहीं पहुँच पा रहा है। गरीब, ग्रामीण और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए डिजिटल उपकरण, इंटरनेट और साक्षरता की कमी ने शिक्षा में असमानताओं को और बढ़ा दिया है। डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी चुनौती नहीं है; यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं का प्रतीक भी है (राव, 2021; मित्तल, 2019)।

सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से शिक्षा में समान अवसर और समावेशन अनिवार्य हैं। अमर्त्य सेन (1999) के क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार, शिक्षा तभी सशक्तिकरण का साधन बनती है जब प्रत्येक छात्र अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख सके और जीवन में समान अवसर प्राप्त कर सके। डिजिटल विभाजन इस लक्ष्य को बाधित करता है, जिससे शिक्षा में असमानताएँ और अवसरों की दरारें उत्पन्न होती हैं।

इस संदर्भ में नीति-स्तरीय हस्तक्षेप और समावेशी उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी, 2020) डिजिटल शिक्षा को समावेशी बनाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियाँ प्रस्तुत करती है। शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन समानता, डिजिटल साक्षरता और समुदाय आधारित पहलें डिजिटल विभाजन को कम करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं (एन्सको, 2015; बूथ और एन्सको, 2011; यूनेस्को, 2017)।



अंततः, शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पहचानना और उसके समाधान को लागू करना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नीति निर्माता, शिक्षक और समुदाय मिलकर डिजिटल संसाधनों की समानता, प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से शिक्षा को सभी के लिए समान, न्यायसंगत और समावेशी बना सकते हैं। केवल इस समन्वित प्रयास से डिजिटल शिक्षा न केवल ज्ञान का माध्यम बनेगी, बल्कि यह समाज में समान अवसर, न्याय और सशक्तिकरण का सशक्त उपकरण भी बन सकेगी (सेन, 1999; राव, 2021)।

संदर्भ सूची

1. ऐंस्को, एम. (2015). खुद को बेहतर बनाने वाले स्कूल सिस्टम की ओर। रूटलेज।
2. बूथ, टी., और ऐंस्को, एम. (2011). इन्क्लूजन को समझना। रूटलेज।
3. कुमार, आर., और सिंधु, पी. (2016). इन्क्लूसिव एजुकेशन के प्रति टीचर का नज़रिया। जर्नल ऑफ़ एजुकेशन स्टडीज़, 14(2), 45–52.
4. मित्तल, पी. (2019). सोशल नज़रिया और इन्क्लूसिव क्लासरूम। एजुकेशन एंड सोसाइटी रिव्यू, 7(1).
5. एनईपी. (2020). नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. भारत सरकार।
6. एनआईईपीए. (2020). भारत में स्कूल एजुकेशन की स्थिति।
7. राव, एस. (2021). भारत में इन्क्लूसिव एजुकेशन में रुकावटें। कंटेम्पररी एजुकेशन रिव्यू, 18(4), 55–68.
8. सेन, ए. (1999). डेवलपमेंट एज़ फ्रीडम. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
9. यूनेस्को. (2017). एजुकेशन में इन्क्लूजन और इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए एक गाइड.

